

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या - 100/2025

उनवान

1. समध कंवर पत्नी हडमतसिंह
जाति राजपूत निवासी खारिया
कला सेतराउ तहसील रामसर
राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0मू0राज0 अधिनियम
- बनाम 2. तहसीलदार रामसर।

आदेश

दिनांक 09.04.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी समध कंवर पत्नी हडमतसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया कला सेतराउ तहसील रामसर में स्वयं के नाम से खातेदारी खेत खसरा नंबर 248,255 मौजा भानपुरा, खसरा नंबर 264 मौजा खारिया कला, खसरा नंबर 287/171, 289/171, 303/193, 442/301, खारियाकिता एवं खसरा नंबर 288 ग्राम मौजा जगमाल का तला पटवार मण्डल सेतराउ में आया हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम समध कंवर पत्नी हडमतसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया कला सेतराउ तहसील रामसर की जगह समदाबाई पत्नी हडमतसिंह जाति राजपूत भूलवंश संवहन से दर्ज हो गया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबंदी ऑनलाईन करते समय जगह समदाबाई पत्नी हडमतसिंह जाति राजपूत दर्ज हो गया। अतः राजस्व रेकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम समध कंवर पत्नी हडमतसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया कला सेतराउ तहसील रामसर करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नंबर 248,255 मौजा भानपुरा, खसरा नंबर 264 मौजा खारिया कला, खसरा नंबर 287/171, 289/171, 303/193, 442/301, खारियाकिता एवं खसरा नंबर 288 ग्राम मौजा जगमाल का तला पटवार मण्डल सेतराउ के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम समध कंवर पत्नी हडमतसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया कला सेतराउ तहसील रामसर नाम दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

क्रमांक : शीडर/2025/ 459-60
प्रतिलिपि :-

दिनांक 09.04.2025

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी समध कंवर पत्नी हडमतसिंह।

उपखण्ड अधिकारी, रामसर
रामसर